भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 536**
23.07.2018 को उत्तर के लिए

**झांसी और ललितपुर में स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र**

536. श्री संजय सिंहः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी तथा ललितपुर जिलों में संरक्षित और आरक्षित वन की भूमि का ब्यौरा क्या है जिन पर सड़क निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र मांगे गए हैं;

(ख) इस भूमि के कितने पेड़ काटने की अनुमति दी गई है; और किस संस्था को और कब दी गई;

(ग) इस वन भूमि के बदले में क्षतिपूर्ति की भूमि और धनराशि वन विभाग को कब कितनी दी गई व उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इसके संबंध में नियमों के उल्लंघन की शिकायत प्राप्त हुई है तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई?

<u>उत्तर</u>

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(डॉ. महेश शर्मा)**

(क) (i) झांसी और ललितपुर जिलों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा सड़कों के निर्माण के लिए वन भूमि के अपवर्तन हेतु निम्नलिखित तीन प्रस्ताव अनुमोदित किए गए थे:

- ललितपुर जिले में 47.41 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन और एनएच-26 को 38 से 94 किमी दूरी तक चौड़ा करने के लिए 7606 पेड़ों की कटाई।
- ललितपुर जिले में 5.999 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन और एनएच-26 को 94 से 131 किमी दूरी तक चौड़ा करने के लिए 7609 पेड़ों की कटाई ।
- झांसी जिले में 21.18 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन और एनएच-26 को 82 से 173 किमी दूरी तक चौड़ा करने के लिए 13444 पेड़ों की कटाई।

(ii) झांसी और ललितपुर जिलों में उपर्युक्त सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए कुल 53.07 हेक्टेयर वन भूमि अपवर्तित की गई

- आरक्षित वन -12.35 हेक्टेयर
- वन स्वरूप-2.52 हेक्टेयर
- संरक्षित वन -38.20 हेक्टेयर

(iii) तथापि, यह उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रस्तावित सड़कें एनएचएआई की स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क निर्माण स्कीम के अंतर्गत आती है।

(ख) और (ग) कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कुल 28659 पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई थी। इसकी अनुमति पत्र संख्या 8बी/यूपी/06/99/2007/374 दिनांक 18.06.2009, 8बी/यूपी/06/43/2017/1417 दिनांक 17.10.2008 तथा 8बी/यूपी/06/2006/एफसी/2074,दिनांक 23.03.2006 के द्वारा दी गई थी। वन विभाग को प्रतिपूरक वनीकरण और एनपीवी प्रभारों के लिए कुल 9,86,72,986 रूपए की राशि का भुगतान किया गया था।

(घ) राज्य सरकार द्वारा उल्लंघन की सूचना दी गई थी जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी से 14,74,297 रूपए की दंडात्मक राशि वसूल की गई थी।